कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2022-23/101641 दिनांक : 14/06/2022

लोक सूचना

श्रीमती मीरा पत्नि श्री बजरंग लाल मेहरा जाति मेहरा निवासी 20, दिपालय शमशान रोड, जभवानी नगर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का **हैल्थ रिसोर्ट** के उपयोग हेतु ऐरी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

क.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नीमेडा, जयपुर (जयपुर)	मीरा पत्नि बजरंगलाल मेहरा	326 / 1	0.5059
		कुल किता	**1**	**0.5059 हैक्टयर**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-06-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/उपा/जोन–11/90बी (प्र.सं. 71/2005) एवं 90ए आनलाईन प्र.सं. 100536 /2022/डी– 1602 दिनांक 14/6/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खातेदार मैसर्स केडिया लैण्ड मार्क एल.एल.पी. जरिये पार्टनर **श्री निर्मल कुमार केडिया एवं श्री राम सिंह मीणा** पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 597/1 रकबा 0.55 हैक्ट. ख.नं. 598 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 599/1 रकबा 0.93 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.49 हैक्ट. एवं खसरा नम्बर 600 (नवीन खसरा नम्बर 1208/600) रकबा 0.63 हैक्ट. में से रकबा 0.44 हैक्ट. आवासीय मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना के प्रोविजन–3सी के स्थान पर आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु जोन कार्यालय में आवेदन किया गया है।

अतः उक्त ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 597/1 रकबा 0.55 हैक्ट. ख.नं. 598 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 599/1 रकबा 0.93 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि 90बी शुदा एवं खसरा नम्बर 600 (नवीन खसरा नम्बर 1208/600) रकबा 0.63 हैक्ट. में से रकबा 0.44 हैक्ट भूमि 90ए शुदा इस प्रकार कुल रकबा 1.93 हैक्ट. **भूमि का आवासीय (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन–3सी) के स्थान पर आवासीय** में मानचित्र अनुमोदन प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में एकल पट्टा जारी किये जाने संबंधी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14/6/22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लोक सूचना का प्रकाशन दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्रों की एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।
2. मैसर्स केडिया लैण्डमार्क एल.एल.पी. जरिये साझेदार निर्मल कुमार केडिया एवं श्री राम सिंह मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा पंजीकृत कार्याल्य 10–11, फर्स्ट फ्लोर गणेश नगर–6, बैनाड रोड, निकट नाडी का फाटक मुरलीपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सार्वजनिक लोक सूचना का राज्य समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर में आठ की फोन्ट साईट में प्रकाशित करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति कार्यालय को उपलब्ध करावें।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 9327 दिनांक– 14.6.2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	130–ए	133.33 वर्ग गज	रोहिणी नगर	श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता	श्री सुनील पालीवाल पुत्र श्री ईश्वर चन्द पालीवाल	मूल दस्तावेज गुम
2	47	194.44 व.ग.	विश्वविद्यालय नगर	श्री सतीश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल	श्री सतीश कुमार अरोड़ा पुत्र श्री जगदीश लाल	सदस्यता सूची में नाम अन्य व्यक्ति का है।

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

14/6/22

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा / जोन–14 / 2022 / डी– 2573

दिनांक 14/6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया गया है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	नाम / पता	समिति का नाम	योजना का नाम
1.	72	150 व.ग.	श्री निशान्त केजरीवाल पुत्र स्व. श्री विनोद केजरीवाल, निवासी 115 बृजलाल नगर, मालपुरा जिला टोंक।	निजी खातेदारी	बालाजी पुरम

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में पट्टा जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेंगी।

उपायुक्त जोन-14
ज. वि. प्रा., जयपुर

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त, जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

दिनांक 13-06-2022

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन–4/2022/डी– 1156

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	139	माडल टाउन–ए	श्री प्रकाश लघानी पुत्र स्व. श्री हरदास लघानी	श्री हरदास लघानी पुत्र श्री पेसूमल एंव श्री प्रकाश लघानी पुत्र श्री हरदास लघानी	पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

PRO/R.6K
13/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1727 दिनांकः– 13/6/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की झालाना फेज–III आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या– जीएफ 119 श्री देवी सहाय जोशी पुत्र स्व. श्री सुगलराम को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री देवी सहाय जोशी पुत्र स्व. श्री सुगलराम द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा से बेचान श्री अत्तरसिंह जारेड़ा पुत्र श्री जम्मू राम को किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

13/06/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-617
13.6.22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2573150 (O) 0141–2574555 (F) e-mail : jdc.jda@rajasthan.gov.in

E/lallu/Raghunath Ji/vigyapti

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– 1237 दिनांक 07-6-2022

–: सार्वजनिक सूचना :–

निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी के भूखण्ड संख्या एच–49 क्षेत्रफल 415.50 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	एच–49	415.50	सनसिटी	श्री नवनीत आर. झवंर जरिये मु.आ. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल झवंर	वसीयतनामा दिनांक 27.07.2021 के द्वारा श्रीमती स्नेहा झंवर पत्नी श्री नवदीप झंवर को किया गया।	श्रीमती स्नेहा झंवर पत्नी श्री नवदीप झंवर, निवासी–फ्लेट नं. 303, थर्ड तल, दवे अपार्टमेन्ट, प्लाट नं. सी–22, सवाई जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

जगदीश...
उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

PRO/R-619
14.6.22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

–:सार्वजनिक सूचना:–

जविप्रा की योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या ए–8 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण Website : http://jda.urban.rajasthan.gov.in /नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
कमांक जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1317 **दिनांक** 13-6-2022

PRO/डी-620
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—:सार्वजनिक सूचना:—

जविप्रा की योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या ए—89 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण Website : http://jda.urban.rajasthan.gov.in /नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन—12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
कमांक जविप्रा/जोन—12/2022/डी—1316 दिनांक 13-6-2022

PRO/R-621
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी–2568

दिनांक 13/6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज / आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम / पता	समिति का नाम / निजी खातेदारी / जविप्रा	योजना का नाम
1.	ए–273	श्री मूलचन्द सौंकरिया एवं सुश्री दिव्यांशी जरिये संरक्षक मूलचन्द सौंकरिया	जविप्रा	पार्थ नगर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
ज. वि. प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
ज. वि. प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-623
14/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःजविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी–1637 दिनांक 13/6/2022

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287–288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू–उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 11.12.2021 द्वारा आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में काई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के पत्र कमांक टीपीआर 1120 / एसएलसी / जविप्रा जयपुर / 03 / 2022 / 4578–83 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287–288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू–उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) भू उपयोग प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की स्वीकृति पत्र कमांक टीपीआर 1120 / एसएलसी / जविप्रा जयपुर / 03 / 2022 / 4578–83 दिनांक 19.05.2022 द्वारा लगाई गई शर्तो के अध्यधीन किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/6/2022 को जारी की गई है।

PRO/R-624 14/6/22

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

| 27. | श्रीमती मधु देवी | श्री ... |

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1163 दिनांक: 13/6/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित योजनाओं के भूखण्डों का पट्टा जारी किये जाने हेतु भूखण्डधारियों द्वारा आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री राजेश कुमार गोदारा	श्री मंगल चन्द गोदारा	सी–04	जनकपुरी
2.	श्री बाबुलाल शर्मा	श्री नारायण लाल शर्मा	डी–08	जनकपुरी
3.	श्री वेद प्रकाश कुमावत	श्री गणेश नारायण कुमावत	डी–12–ए (उत्तरी भाग)	जनकपुरी
4.	श्री अनिल कुमार टांक श्रीमती अमीषा टांक	श्री गोपीलाल श्री अनिल कुमार टांक	बी–6	जनकपुरी
5.	श्रीमती आशा	श्री दीप चन्द	ए–15	जनकपुरी
6.	श्री नरेन्द्र यादव	श्री छितर मल यादव	डी–12–ए (दक्षिणी भाग)	जनकपुरी
7.	श्री रामदयाल, श्री नन्द किशोर, श्री रमेश साहु	श्री सुंवालाल साहु	डी–05	जनकपुरी
8.	श्री रामदयाल, श्री नन्द किशोर, श्री रमेश साहु	श्री सुंवालाल साहु	डी–06	जनकपुरी
9.	श्रीमती प्रेम देवी	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ई–01	जनकपुरी
10.	श्री कमल किशोर शर्मा	श्री नाथूलाल शर्मा	एफ–05	जनकपुरी
11.	श्री जगदीश प्रसाद रैगर	श्री मक्खन लाल रैगर	जी–12	जनकपुरी
12.	श्री अमर सिंह एवं श्री राहुल गुर्जर	श्री कालूराम गुर्जर	ई–14 (उत्तरी भाग)	जनकपुरी
13.	श्रीमती रश्मि वर्मा	श्री जयप्रकाश वर्मा	सी–06	जनकपुरी
14.	श्रीमती मनभर देवी	श्री छोटूराम	ई–08	जनकपुरी
15.	श्री मोहन शर्मा	श्री दिनेश चन्द शर्मा	ए–13	जनकपुरी
16.	श्रीमती सुनीता शर्मा	श्री रामस्वरूप शर्मा	बी–03	जनकपुरी
17.	श्री रामस्वरूप शर्मा	श्री जगदीश नारायण शर्मा	बी–02	जनकपुरी
18.	श्री भाखाराम देवासी	श्री किशनाराम देवासी	ई–04	जनकपुरी
19.	श्री रविकान्त गोदारा	श्री मंगलचन्द गोदारा	सी–05	जनकपुरी
20.	श्री कृष्णा मुरारी साटोलिया	श्री सुन्दर लाल साटोलिया	ई–12	जनकपुरी
21.	श्रीमती सरला देवी	श्री अशोक कुमार शर्मा	ई–07	जनकपुरी
22.	श्रीमती प्रेम देवी	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ई–01–बी	जनकपुरी
23.	श्री मनोज प्रताप सिंह	श्री बजरंग सिंह	ए–04	जनकपुरी
24.	श्री मनोज प्रताप सिंह	श्री बजरंग सिंह	ए–05	जनकपुरी
25.	श्रीमती पूनम शर्मा	श्री नवीन शर्मा	जी–11	जनकपुरी
26.	श्री दुर्गालाल शर्मा	श्री गोपीराम शर्मा	बी–05	जनकपुरी
27.	श्रीमती मधु देवी	श्री धर्मदेव राम	डी–01	जनकपुरी
28.	श्रीमती चन्द्रकान्ता	श्री जगदीश गुर्जर	ई–14–ए	जनकपुरी
29.	श्रीमती इन्दुबाला गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा	ए–115	भान नगर

उपायुक्त जोन–7

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240, फैक्स : 91+141–257455

email : dczone07jaipurjda@gmail.com

Scanned with CamScanner

	श्री विकास गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा		
	श्री अमित गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा		
30.	श्रीमती उमा देवी शर्मा	स्व. श्री रामस्वरूप जोशी	डी–264	गोविन्दपुरा, करधनी
31.	मोहम्मद असलम	श्री एम. एस. छीपा	सी–23 (उत्तरी भाग)	मां वैष्णों नगर
32.	श्री रामराज जाट	श्री राम चन्द	सी–23 (दक्षिणी भाग)	मां वैष्णों नगर
33.	श्रीमती सन्तोष कंवर	स्व. श्री श्याम सिंह	15–ए	सरिता विहार
34.	श्री हरिओम नामा	श्री मदन लाल नामा	12	सरिता विहार
35.	श्री जीवराम सिंह	श्री पाबूदान	159	अशोक नगर

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यंक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन–4/2022/डी– 1163 दिनांक 13-06-2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी श्री गैरार्स अग्रवाल प्रिमियम होटल प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल को शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक वाटिका के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या– 1, 2, 3, 4 एवं 23 क्षेत्रफल 1302.58 वर्गगज (1089.12 वर्गमीटर) का आवासीय पट्टा जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिर्वतन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या–iv के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर विकास योजना/जोनल विकास योजना संख्या–02 में दर्शित व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर अन्य भूमि, दक्षिण दिशा की 160 फीट सड़क, पूर्व दिशा की ओर अन्य की भूमि एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 फीट सड़क स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अपत्ति/सुझाव अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में अपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13-06-2022 को जारी की गई।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-627
14/6/22

Scanned with CamScanner

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1056 दिनांक 14/6/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा में श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना गणेश विहार के निम्न भूखण्डों के नियमन हेतु आवेदन प्राप्त हुए है :–

क्र. स.	ऑन लाईन आवेदन पंजीयन	आवेदक/आवंटी का नाम मय आवेदित भूखण्ड का विवरण	प्रस्तुत दस्तावेज
1	93337	श्री राकेश कुमार अग्रवाल, भूखण्ड संख्या 47	समिति का आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण–पत्र, साईट प्लान
2	93342	श्री प्रभुदयाल अग्रवाल, भूखण्ड संख्या 218	

समिति द्वारा प्रस्तुत योजना की सदस्यता सूची में उपरोक्त भूखण्डों के सदस्य/आवंटी का नाम अंकित नहीं है। अतः जरिये विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदित भूखण्डों का नियमन उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदकों के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

PRO/R-6286
14/6/2022

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101770 दिनांकः 10/06/2022

लोक सूचना

श्री **UJAS COLLEGE OF EDUCATION JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA** पुत्र श्री **KISHORI LAL GUPTA** जाति **MAHAJAN** निवासी **3/585 PRADHAN MARG MALVIYA NAGAR JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **अन्य संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्वार ब्राहमणान, सांगानेर (जयपुर)	UJAS COLLEGE OF EDUCATION THROUGH DIRECTED EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA	601/1	700	0.07
2.	ग्वार ब्राहमणान, सांगानेर (जयपुर)	UJAS COLLEGE OF EDUCATION THROUGH DIRECTED EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA	603/1	1300	0.13
				कुल	0.2

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **10-06-2022** को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-14

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-622
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 13-06-2022

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1156

विज्ञप्ति / सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण / लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	139	माडल टाउन–ए	श्री प्रकाश लघानी पुत्र स्व. श्री हरदास लघानी	श्री हरदास लघानी पुत्र श्री पेसूमल एंव श्री प्रकाश लघानी पुत्र श्री हरदास लघानी	पंजीकृत हक त्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा जयपुर।

PRO/R.GK
13/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपायुक्त जोन–1/2022/डी– 1727 दिनांकः– 13/6/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की झालाना फेज–III आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या– जीएफ 119 श्री देवी सहाय जोशी पुत्र स्व. श्री सुगलराम को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री देवी सहाय जोशी पुत्र स्व. श्री सुगलराम द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा से बेचान श्री अत्तरसिंह जारेड़ा पुत्र श्री जम्मू राम को किया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी–एसएफ–202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

13/06/2022

उपायुक्त जोन–1
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-617
13.6.22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–12 / 2022 / डी– 1237

दिनांक 07-6-2022

–: सार्वजनिक सूचना :–

निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनसिटी के भूखण्ड संख्या एच–49 क्षेत्रफल 415.50 व.ग. का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	मूल आंवटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्ट्रर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	एच–49	415.50	सनसिटी	श्री नवनीत आर. झवंर जरिये मु.आ. दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर लाल झवंर	वसीयतनामा दिनांक 27.07.2021 के द्वारा श्रीमती स्नेहा झंवर पत्नी श्री नवदीप झंवर को किया गया।	श्रीमती स्नेहा झंवर पत्नी श्री नवदीप झंवर, निवासी–फ्लेट नं. 303, थर्ड तल, दवे अपार्टमेन्ट, प्लाट नं. सी–22, सवाई जय सिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व वरीयतनामा के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष मे कर दी जावेगी।

जगत सिंह
उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर
(उपायुक्त जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर)

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर
(उपायुक्त जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर)

PRO/R-619
14.6.22

Scanned with CamScanner

–:सार्वजनिक सूचना:–

जविप्रा की योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या ए–8 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण Website : http://jda.urban.rajasthan.gov.in /नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
क्रमांक जविप्रा/जोन–12/2022/डी–1317 दिनांक 13-6-2022

PRO/क्र-620
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—:सार्वजनिक सूचना:—

जविप्रा की योजना लालचन्दपुरा के भूखण्ड संख्या ए–89 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण Website : http://jda.urban.rajasthan.gov.in /नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
कमांक जविप्रा/जोन–12/2022/डी–1316 दिनांक 13-6-2022

PRO/R-621
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2022 / डी–2568

दिनांक 13/6/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज / आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया हैः–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम / पता	समिति का नाम / निजी खातेदारी / जविप्रा	योजना का नाम
1.	ए–273	श्री मूलचन्द सौंकरिया एवं सुश्री दिव्यांशी जरिये संरक्षक मूलचन्द सौंकरिया	जविप्रा	पार्थ नगर

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण / लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
ज. वि. प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
ज. वि. प्रा., जयपुर

उपायुक्त जोन–14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO/R-623
14/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail: dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा / उपा. जोन–08 / 2022 / डी–1637 दिनांक 13/6/2022

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287–288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू–उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांक 11.12.2021 द्वारा आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में काई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के पत्र कमांक टीपीआर 1120 / एसएलसी / जविप्रा जयपुर / 03 / 2022 / 4578–83 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित निजी खातेदारी की आवासीय योजना पटेल नगर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 287–288 क्षेत्रफल 1060.06 वर्ग गज भूमि, जिसका भू उपयोग मास्टर विकास योजना–2025 में 15 मीटर गहराई तक व्यावसायिक तत्पश्चात् आवासीय दर्शाया गया है, का भू–उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना–2025 के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक (पर्यटन इकाई होटल) भू उपयोग प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति की स्वीकृति पत्र कमांक टीपीआर 1120 / एसएलसी / जविप्रा जयपुर / 03 / 2022 / 4578–83 दिनांक 19.05.2022 द्वारा लगाई गई शर्तों के अध्यधीन किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13/6/2022 को जारी की गई है।

PRO/R-624 14/6/22

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

| 27. | श्रीमती मधु देवी | श्री ... |

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–7/2022/डी– 1163 दिनांकः 13/6/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के तहत जोन–7 के क्षेत्राधिकार में स्थित योजनाओं के भूखण्डों का पट्टा जारी किये जाने हेतु भूखण्डधारियों द्वारा आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम
1.	श्री राजेश कुमार गोदारा	श्री मंगल चन्द गोदारा	सी–04	जनकपुरी
2.	श्री बाबुलाल शर्मा	श्री नारायण लाल शर्मा	डी–08	जनकपुरी
3.	श्री वेद प्रकाश कुमावत	श्री गणेश नारायण कुमावत	डी–12–ए (उत्तरी भाग)	जनकपुरी
4.	श्री अनिल कुमार टांक	श्री गोपीलाल	बी–6	जनकपुरी
	श्रीमती अमीषा टांक	श्री अनिल कुमार टांक		
5.	श्रीमती आशा	श्री दीप चन्द	ए–15	जनकपुरी
6.	श्री नरेन्द्र यादव	श्री छितर मल यादव	डी–12–ए (दक्षिणी भाग)	जनकपुरी
7.	श्री रामदयाल, श्री नन्द किशोर, श्री रमेश साहु	श्री सुंवालाल साहु	डी–05	जनकपुरी
8.	श्री रामदयाल, श्री नन्द किशोर, श्री रमेश साहु	श्री सुंवालाल साहु	डी–06	जनकपुरी
9.	श्रीमती प्रेम देवी	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ई–01	जनकपुरी
10.	श्री कमल किशोर शर्मा	श्री नाथूलाल शर्मा	एफ–05	जनकपुरी
11.	श्री जगदीश प्रसाद रैगर	श्री मक्खन लाल रैगर	जी–12	जनकपुरी
12.	श्री अमर सिंह एवं श्री राहुल गुर्जर	श्री कालूराम गुर्जर	ई–14 (उत्तरी भाग)	जनकपुरी
13.	श्रीमती रश्मि वर्मा	श्री जयप्रकाश वर्मा	सी–06	जनकपुरी
14.	श्रीमती मनभर देवी	श्री छोटूराम	ई–08	जनकपुरी
15.	श्री मोहन शर्मा	श्री दिनेश चन्द शर्मा	ए–13	जनकपुरी
16.	श्रीमती सुनीता शर्मा	श्री रामस्वरूप शर्मा	बी–03	जनकपुरी
17.	श्री रामस्वरूप शर्मा	श्री जगदीश नारायण शर्मा	बी–02	जनकपुरी
18.	श्री भाखाराम देवासी	श्री किशनाराम देवासी	ई–04	जनकपुरी
19.	श्री रविकान्त गोदारा	श्री मंगलचन्द गोदारा	सी–05	जनकपुरी
20.	श्री कृष्णा मुरारी साटोलिया	श्री सुन्दर लाल साटोलिया	ई–12	जनकपुरी
21.	श्रीमती सरला देवी	श्री अशोक कुमार शर्मा	ई–07	जनकपुरी
22.	श्रीमती प्रेम देवी	श्री कैलाश चन्द शर्मा	ई–01–बी	जनकपुरी
23.	श्री मनोज प्रताप सिंह	श्री बजरंग सिंह	ए–04	जनकपुरी
24.	श्री मनोज प्रताप सिंह	श्री बजरंग सिंह	ए–05	जनकपुरी
25.	श्रीमती पूनम शर्मा	श्री नवीन शर्मा	जी–11	जनकपुरी
26.	श्री दुर्गालाल शर्मा	श्री गोपीराम शर्मा	बी–05	जनकपुरी
27.	श्रीमती मधु देवी	श्री धर्मदेव राम	डी–01	जनकपुरी
28.	श्रीमती चन्द्रकान्ता	श्री जगदीश गुर्जर	ई–14–ए	जनकपुरी
29.	श्रीमती इन्दुबाला गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा	ए–115	भान नगर

उपायुक्त जोन–7

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240, फैक्स : 91+141–257455

email : dczone07jaipurjda@gmail.com

Scanned with CamScanner

	श्री विकास गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा		
	श्री अमित गोदारा	स्व. श्री बलवन्त राम गोदारा		
30.	श्रीमती उमा देवी शर्मा	स्व. श्री रामस्वरूप जोशी	डी–264	गोविन्दपुरा, करधनी
31.	मोहम्मद असलम	श्री एम. एस. छीपा	सी–23 (उत्तरी भाग)	मां वैष्णों नगर
32.	श्री रामराज जाट	श्री राम चन्द	सी–23 (दक्षिणी भाग)	मां वैष्णों नगर
33.	श्रीमती सन्तोष कंवर	स्व. श्री श्याम सिंह	15–ए	सरिता विहार
34.	श्री हरिओम नामा	श्री मदन लाल नामा	12	सरिता विहार
35.	श्री जीवराम सिंह	श्री पाबूदान	159	अशोक नगर

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर–219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक / ज.वि.प्रा / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1163 दिनांक 13-06-2022

प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन

प्रार्थी श्री मैसर्स अग्रवाल प्रिमियम होटल प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल को शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक वाटिका के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या– 1, 2, 3, 4 एवं 23 क्षेत्रफल 1302.58 वर्गगज (1089.12 वर्गमीटर) का आवासीय पट्टा जारी है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिर्वतन नियम–2010 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 24.02.2021 राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के बिन्दु संख्या–2 के उपबिन्दु संख्या–iv के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन आवासीय से मास्टर विकास योजना / जोनल विकास योजना संख्या–02 में दर्शित व्यावसायिक भू–उपयोग प्रयोजनार्थ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त भूखण्ड के साईट प्लान अनुसार उत्तर दिशा की ओर अन्य भूमि, दक्षिण दिशा की 160 फीट सड़क, पूर्व दिशा की ओर अन्य की भूमि एवं पश्चिम दिशा की ओर 80 फीट सड़क स्थित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना के दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अपत्ति / सुझाव अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। उक्त कालावधि में अपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सूचित रहें।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13-06-2022 को जारी की गई।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-627
14/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

Com-2/D-Letter

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–2/2022/डी– 1056 दिनांक 14/6/2022

विज्ञप्ति

जविप्रा में श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना गणेश विहार के निम्न भूखण्डों के नियमन हेतु आवेदन प्राप्त हुए है :–

क्र. स.	ऑन लाईन आवेदन पंजीयन	आवेदक/आवंटी का नाम मय आवेदित भूखण्ड का विवरण	प्रस्तुत दस्तावेज
1	93337	श्री राकेश कुमार अग्रवाल, भूखण्ड संख्या 47	समिति का आवंटन पत्र, हिस्सा राशि प्रमाण–पत्र, साईट प्लान
2	93342	श्री प्रभुदयाल अग्रवाल, भूखण्ड संख्या 218	

समिति द्वारा प्रस्तुत योजना की सदस्यता सूची में उपरोक्त भूखण्डों के सदस्य/आवंटी का नाम अंकित नहीं है। अतः जरिये विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदित भूखण्डों का नियमन उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पक्ष में किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नियमन की कार्यवाही आवेदकों के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

Sd

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–2
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

PRO/R-6286
14/6/2022

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101770 दिनांकः 10/06/2022

लोक सूचना

श्री **UJAS COLLEGE OF EDUCATION JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA** पुत्र श्री **KISHORI LAL GUPTA** जाति **MAHAJAN** निवासी **3/585 PRADHAN MARG MALVIYA NAGAR JAIPUR** ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **अन्य संस्थानिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	ग्वार ब्राहमणान, सांगानेर (जयपुर)	UJAS COLLEGE OF EDUCATION THROUGH DIRECTED EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA	601/1	700	0.07
2.	ग्वार ब्राहमणान, सांगानेर (जयपुर)	UJAS COLLEGE OF EDUCATION THROUGH DIRECTED EDUCATIONAL CULTURE SOCIETY JARIYE DIRECTOR PAWAN KUMAR GUPTA	603/1	1300	0.13
				कुल	**0.2**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **10-06-2022** को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-14

प्राधिकृत अधिकारी जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PRO/R-622
14/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1169 दिनांक: 14/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशुतोष बाजोरिया पुत्र श्री गोपाल बाजोरिया द्वारा योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–403 व भूखण्ड संख्या–404 का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय, पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–403 व भूखण्ड संख्या–404 का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

Sd/-
उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी–1168 दिनांक 14/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अविनाश बाजोरिया पुत्र श्री गोपाल बाजोरिया द्वारा योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–393 व भूखण्ड संख्या–394 का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय, इकरारानामा पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–393 व भूखण्ड संख्या–394 का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीवी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

-Sd.

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन–7
विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 13-06-2022

क्रमांक / ज.वि.प्रा. / उपा. / जोन–4 / 2022 / डी– 1165

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदक / आवेदिका द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का फ्री होल्ड पटटा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति / संस्था / हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में फ्री होल्ड पटटा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक / आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	79	इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना चन्द्रकला कॉलोनी	श्री धर्मपाल पुत्र श्री मोहन लाल एवं श्रीमती नीरू पत्नी श्री धर्मपाल	श्रीमती शीला जैन पत्नी श्री निर्मल जैन	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीदे, पंजीकृत मुख्यत्यारआम, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.10.06, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2007, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.04.2010 बिजली कनेक्शन के आधार पर।
2	एम–20	किसान गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना इन्कमटैक्स कॉलोनी स्कीम नं. 5	श्री शान्ति कुमार वर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण, श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, कमलेश कुमार वर्मा पुत्रान श्री शान्ति कुमार वर्मा	पटटाधारक श्री महावीर स्वरूप क्सेना पुत्र श्री गंगा स्वरूप सक्सेना	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पटटे मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम हस्तान्तरण, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर।

PRO/R-624 14/6/22

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

13.06.22

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क(8) के अन्तर्गत

दिनांक 13.6.2022

संख्या 1786

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **निजी खातेदारी** की योजना **कुमावत कॉलोनी रतन नगर–II** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावें।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
बीड सरकारी तहसील जयपुर।	51	0.5059 हैक्ट.	ताराचन्द पुत्र सीताराम हि. 1/12, प्रभुनारायण पुत्र ग्यारसा हि. 1/4, बाबूलाल पुत्र लालचन्द हि. 1/4 रतनलाल पुत्र सीताराम हि. 1/12, सुशील कुमार पुत्र सीताराम हि. 1/12 हनुमान पुत्र ग्यारसा हि. 1/4 जाति कुम्हार सा.देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम मे इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस मे कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 13.6.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन–08 जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर

PRO/615
13/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांकः 14/6/2022

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1169

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आशुतोष बाजोरिया पुत्र श्री गोपाल बाजोरिया द्वारा योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–403 व भूखण्ड संख्या–404 का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय, पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–403 व भूखण्ड संख्या–404 का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

Sd/-
उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2022 / डी– 1168

दिनांकः 14/6/2022

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अविनाश बाजोरिया पुत्र श्री गोपाल बाजोरिया द्वारा योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–393 व भूखण्ड संख्या–394 का फ्री होल्ड पट्टा अपने पक्ष में जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड का फ्री होल्ड पट्टा / लीजडीड अपने पक्ष में जारी करनें हेतु प्रार्थी द्वारा समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत विक्रय, इकरारानामा पत्र आदि प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजात् के आधार पर योजना–नेमी सागर, के भूखण्ड संख्या–393 व भूखण्ड संख्या–394 का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी–एसएफ–218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पश्चात् पट्टा / लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

-Sd.

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, जविप्रा जयपुर।

उपायुक्त जोन–7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त जोन –7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned with CamScanner